न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 83 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 298

प्रार्थीया

सुखीदेवी पत्नी दौलाराम, जाति–पुरोहित

निवासी–भड़वल, तहसील–सांचौर

अप्रार्थीगण

छोगालाल पुत्र तलछा वगैरह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर सत्यमेव जयते जिला जालोर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 09.12.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी एवं शंकर चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम दवे व श्री ओमप्रकाश सुथार उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 25.05.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत सरहद मौजा भड़वल, पटवार हल्का–भड़वल के खसरा नंबर 112 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 113 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 113 / 1212 रकबा 0.01, खसरा नंबर 114 रकबा 0.44 हैक्टैयर, खसरा नंबर 115 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 145 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल रकबा 2.03 हैक्टेयर के आये हुए है जो प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की संपति के खेत है। नकल वर्तमान जमाबंदी प्रार्थना–पत्र के साथ पेश है। उक्त आराजी का प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है तथा मौके पर अलग अलग माठे कायम है। हमारे द्वारा मौके पर सहमति से बंटवाड़ा किया हुआ है। मौके पर बंटवाड़ा पूर्व में किया जा चुका है। प्रार्थीया ने अपने हिस्से की भूमि को दिन रात मेहनत कर समय पर खेड़ाई कर उन्नत बिज डालकर भूमि को उपजाउ बनाया है। इस कारण अप्रार्थीगण की नियत में खोट पैदा हो गई है। इस कारण सहमति से बंटवाड़ा नहीं करवा रहे है। उपरोक्त आराजी में प्रार्थीया का 2 / 3 हिस्सा वैधानिक हकों का खरीदसुदा, कब्जा काश्तसुदा होने से प्रथम दृष्टि में केस प्रार्थीया के पक्ष में है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है लेकिन अप्रार्थीगण बिना बंटवाड़ा करवाये संयुक्त आराजी में से अपना हिस्सा किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर खुर्द–बुर्द करना चाहते है। इस प्रकार यदि अप्रार्थीगण ने किसी अजनबी व्यक्ति को भूमि बैचान कर दी तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रार्थीया को विभिन्न प्रकार के मुकदमात में उलझना पड़ेगा ऐसी

सहायक कलेक्टर, साचौर
(उपखण्ड अधिकारी साचौर)

सूरत में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने न्यायहित में आवश्यक है। ऐसी सूरत में यह प्रार्थना–पत्र पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद के अंतिम निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमावें कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा भड़वल, पटवार हल्का–भड़वल के खेत खसरा नंबर112 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 113 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 113／1212 रकबा 0.01, खसरा नंबर 114 रकबा 0.44 हैक्टैयर, खसरा नंबर 115 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 145 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल रकबा 2.03 हैक्टेयर का बैचान, रहन या अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं करे तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने ईकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया है कि अवतरण संख्या 3 में वर्णितानुसार हमारे मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है इसी अनुरूप हम राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करने में सहमत है। माफिक इस्तदुआ प्रार्थीया आदेश जारी फरमावें।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि सरहद मौजा भड़वल, पटवार हल्का–भड़वल के खेत खसरा नंबर112 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 113 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 113／1212 रकबा 0.01, खसरा नंबर 114 रकबा 0.44 हैक्टैयर, खसरा नंबर 115 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 145 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल रकबा 2.03 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **25.05.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर